तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
11-6-16	पत्रावली बमुकाम लोक अदालत कैम्प सीड़ियास मे पेश हुई। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

न्यायालय सब डिविजनल ऑफिसर, माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–देवी सिंह रावत

प्रकरण सं0 141 सन 14 मु0 रे0

अनवान

1.श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी मनोहर लाल जायसवाल नि0 माण्डल तह0 माण्डल

2.सुश्री रेखा पुत्री द्वारका प्रसाद बिडला नि0 माण्डल तह0 माण्डल जिला भीलवाडा

प्रार्थीगणः–

1. अब्दुलगनी वल्द समसुलगनी काजी नि0 मांडल तह0 माण्डल जिला भीलवाडा
2. उस्मानगनी वल्द समसुलगनी काजी न0 मदार कोलोनी,मस्जिद के पास बांसवाडा।

मृतक के विधिक उत्तराधिकारी–

2/1 सलमा बनु पत्नी उस्मानगनी

2/2 इरफानगनी पुत्र उस्मानगनी

2/3 इमरानगनी पुत्र उस्मानगनी

2/4 रीजवानगनी पुत्र उस्मानगनी

2/5 फातिमा पुत्री उस्मानगनी

2/6 जौहरा पुत्री उस्मानगनी काजी

निवासियान मदार कोलोनी मस्जिद के पास बांसवाडा जिला बांसवाडा

:–विपक्षीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए

राज0 टिनेसी एक्ट,1955

निर्णय दिनांकः 11.06.2016

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्राथंना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 टिनेसी एक्ट 1955 के तेहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन कियाकि पार्थीगण को सयुक्त खातेदारी तक की आ0नै. 9274रकबा 2–18 दो बीधा अठारह बिस्वा भूमि जो मौजा कीर खेडा तह0 माण्डल में स्थित है। जिसमें आने जाने, ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि के लाने से जाने का एक मात्र करीबी रास्ता मौजा कीर खेडा, तह0 माण्डल को आ0नं0 9306 मो. रकवा 1–10 एक बीघा दस बिस्वा को पूर्वी सीमा पर 30 तीस फिट चौडाई का रास्ता मौके पर विधमान है किंतु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है इसलिये प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर मौजा कीर खेडा तह0 माण्डल को आ0 नं0 9306 मो0 को पुर्वी सीमा पर उत्तर दक्षिण रास्ता जो कीर खेडा की सडक से लगती हुई भुमि मै 30 फिट चौडाई का रास्ता विधमान है उसको पार्थीगण की आ0सं0 9274 को दक्षिणी सीमा तक रास्ता कायम करते हुए समस्त रेकार्ड मं रास्ता के रूप में अभिलिखित करने को स्वीकृति प्रदान करावें मौजा कीर खेडा तह0माण्डल को आ0नं0 9306 की रकबा 1–10 एक बीधा इस बिस्वा के खतेदार विपक्षी अब्दुलगनी एवं उस्मानगनी है अब्दुलगनी का 1/5 हिस्सा है तथा विपक्षी उरमानगनी का 4/5 हिस्सा है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल